रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 3, 1991/चैत्र 13, 1913

No. 134] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 3, 1991/CHAITRA 13, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1991

सा.का.नि. 201 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापट्टणम पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विशाखापट्टन पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) के संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा० सं. पी. आर. 12012/13/91-पी.ई. (1)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी मंडल विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1968 में संशोधन के लिये निम्नांकित विनियम बनाती है।

(i) ये विनियम विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण, और अपील) के संशोधन विनियम, 1991 कहे जायेंगे।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1968 में (इस के आगे बनाये गये विनियम के नाम से विनिर्दिष्ट होंगे)।

(1) (क) बनाये गये विनियमों के विनियम 2 में निम्नांकित परिभाषा खण्ड (8) के रूप में जोड़ दी जानी चाहिए।

"सेवानिवृत्त कर्मचारी" का अर्थ मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारी से है।

(ख) वर्तमान खण्ड (ख) को खण्ड (छ) के रूप में पढ़ा जायेगा ।

(2) उक्त विनियमों के विनियम 7 में निम्नांकित परिवर्तन करना चाहिये अर्थात् (क) उक्त विनियम (1) में निम्नांकित को खण्ड (ग) के रूप में रखना चाहिए ।

"जहां पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में, वह राज्य की सुरक्षा भंग करने वाले कार्यकलापों में मग्न है ।"

(ख) उप विनियम 5 के अंतर्गत निम्नांकित उपबंध रखा जायेगा ।

बशर्ते कि किसी प्रकार की जांच का आदेश तब तक नहीं दिया जाय जब तक ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े जिसमें कोर्ट द्वारा मामले के गुणों कि ओर ध्यान न दे कर केवल कानूनी आधार पर आदेश दिये गये हों ।

3 उक्त विनियमों के विनियम 8 में खण्ड (9) के बाद निम्नांकित उपबंध रखा जायेगा ।

बशर्ते कि प्रत्येक उस मामले में जहां किसी व्यक्ति द्वारा अनुमति प्राप्त मेहनताने के अतिरिक्त इनाम के उद्देश्य से कार्यालय कार्य करने पर पारितोषिक स्वीकार करने का आरोप सिद्ध हो जाये तो उसे खण्ड (8) या खण्ड (9) में उल्लिखित दंड दिया जायेगा ।

आगे यह बताया जाता है कि विशेष मामलों में और लिखित रूप में प्रस्तुत विशेष कारणों से कोई और दण्ड भी दिया जा सकता है । उक्त विनियमों के विनियम 10 में निम्नांकित परिवर्तन किया जाये ।

(क) उक्त विनियम (8क) के खण्ड (i) और (ii) को हटा दिया जाये कि वर्तमान खण्ड (iii) और (iv) को खण्ड (i) और (ii) के रूप में पढ़ा जाय ।

(ख) उप विनियम 17 में खण्ड (ख) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित करना होगा ।

"यदि कर्मचारी चाहे तो अपनी ओर से स्वयं भी अपने मामले की जांच कर सकता है ।

"गवाही के लिये लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, अनुशासनिक प्राधिकारी के लिये, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई गवाही पूछताछ प्राधिकारी जांच की जायेगी और उसकी प्रति-परीक्षा, पुनः परीक्षा और जांच भी उसके अधीन होगी ।"

5 उक्त विनियमों के विनियम 11 के उप विनियम (3) के अंतर्गत निम्नांकित उपबंध समाविष्ट करना चाहिए ।

बशर्ते कि प्रत्येक मामले में जहां केन्द्र सरकार से विचार विमर्श आवश्यक है, जांच का रिकार्ड अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार को सलाह के लिये भेजे जाने चाहिए । और कर्मचारी पर दण्ड लगाने संबंधी आदेश देने से पहले उस सलाह पर ध्यान देना चाहिए ।

6 उक्त विनियमों के विनियम 12 के अंतर्गत दी गई टिप्पणी के अंत में यह जोड़ दिया जाय ।

"कर्मचारी पर जुर्माना लगाने संबंधी आदेश देने से पूर्व" ।

7. उक्त विनियम के विनियम 15 में निम्नांकित परिवर्तन किया जाय

(क) खण्ड (3) के अंतर्गत निम्नांकित को पहले उपबंध के रूप में समाविष्ट किया जाय ।

"बशर्ते कि खण्ड (1) के तहत किसी मामले के संबंध में प्रस्तावित जुर्माना लगाने के आदेश देने के पहले कर्मचारी को अपना प्रतिवेदन देने का मौका दिया जाय ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के अंतर्गत किसी भी मामले में कोई भी आदेश देने के पहले जहां केन्द्र सरकार की सलाह आवश्यक हो, वहां केन्द्र सरकार से विचार विमर्श किया जाय ।"

(ख) उक्त उपबंध में वर्तमान उपबंध को दूसरा उपबंध माना जाये और शब्द "आगे" "बशर्ते" शब्द के बाद समाविष्ट किया जाये ।

उक्त विनियमों के विनियम 18 में निम्नांकित परिवर्तन किया जाय ।

(क) निम्नांकित को खण्ड (2) के रूप में समाविष्ट किया जाये ।
"निलम्बन आदेश के अतिरिक्त मध्यवर्ती स्वभाव वाले या स्टेप-इन-एड स्वभाव वाले या अनुशासनिक कार्यवाही को अंतिम समापन से कोई भी आदेश"

(ख) वर्तमान खण्ड (2) को खण्ड (3) के रूप में पुनः संख्यांकित कर देना चाहिए ।

10 उक्त विनियमों के विनियम 21 में निम्नांकित को प्रतिस्थापित किया जाये ।

21 जिस पर अपील की गई है उसके विरुद्ध आदेश — विनियमों में प्रावधानों की शर्त पर कर्मचारी निम्नांकित सभी या किसी भी केस पर अपील कर सकता है ।

(1) विनियम 8 में उल्लिखित कोई भी दण्ड आदेश, चाहे वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या अपीलेट द्वारा या संशोधन प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो ।

(2) विनियम-8 के अंतर्गत जुर्माना लगाने वाले आदेश ।

(3) आदेश, जो—

(क) विनियमों या करार द्वारा निर्धारित उस का वेतन, भत्ते, पेंशन या सेवा की अन्य शर्तों को इनकार या परिवर्तित करके उसे नुकसान पहुंचाते हैं ।

(ख) ऐसे किसी विनियम या करार के प्रावधानों को इस रूप में व्याख्यापित करना कि वे उसके प्रतिकूल हो ।

(4) आदेश— जो

(क) दक्षता रोध पार करने की अयोग्यता के आधार पर वेतन के काल मान में उसे दक्षता रोध पर रोकने के संबंधी ।

(ख) दण्ड से अन्यथा, जब उच्च सेवा, वर्ग या पद में स्थानापन्न करते समय निम्न सेवा, वर्ग या पद में प्रत्यावर्तन संबंधी ।

(ग) विनियम के अंतर्गत स्वीकार्य अधिकतम पेंशन कम करना या रोकना, या उन्हें दिये जाने वाली अधिकतम पेंशन से इनकार करने संबंधी ।

(घ) आस्थगन की अवधि के लिये या जिस अवधि के दौरान ऐसा समझा जायेगा कि वह आस्थगन में है या ऐसी अवधि के किसी भाग के लिए उस अवधि में चुकाये जाने वाले भरण-पोषण और भत्ते का निर्धारण करने संबंधी आदेश ।

(ङ) उसके वेतन और भत्ते का निर्धारण संबंधी आदेश —

(i) निलम्बन अवधि के लिए; या

(ii) उसकी आवश्यक सेवा निवृत्ति या सेवा से हटाये जाने, पदच्युत किये जाने की तिथि से या निम्न सेवा पद परावर्तन करने या निम्न ग्रेड पद, समयमान या वेतन के समयमान की अवस्था से उसके पुनः सेवा में लिये जाने की तिथि या पद ग्रेड सेवा में पुनः लिये जाने की तिथि तक की अवधि के लिए ; या

(च) उसकी निलम्बन तिथि या उसके पदच्युत किये जाने की तिथि या उसके हटाये जाने, आवश्यक सेवानिवृत्ति या निम्न सेवा, पद, वेतन समयमान या वेतन के समयमान की अवस्था पर परावर्तन तिथि से उसके पुनः सेवा में, ग्रेड, पद पर लिये जाने की तिथि तक की अवधि को किसी

भी उद्देश्य से सेवा अवधि माना जायेगा या नहीं ; इसके निर्धारण संबंधी आदेश ।

स्पष्टीकरण : इस विनियम में :

(i) "कर्मचारी" शब्द में सेवा में से रोक दिया गया व्यक्ति शामिल है ;

(ii) "पेंशन" शब्द में अतिरिक्त पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं ।

(iii) उक्त विनियम में वर्तमान भाग-VII को निम्नांकित से परिस्थापित किया जाये ।

पुनरीक्षण और समीक्षा

26. पुनरीक्षण :

(1) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी ;

(i) केन्द्र सरकार ; या

(ii) अध्यक्ष, अपीलेट प्राधिकारी के रूप में पुनरीक्षण के लिये प्रस्तावित आदेश की तिथि से (छः) 6 महीने के अंदर किसी भी समय उसके प्रस्ताव या स्वयं उसके ध्यान पर या अन्यथा, किसी भी जांच के रिकार्ड मंगा सकते हैं और इन विनियमों के अंतर्गत दिये गये किसी भी आदेश की समीक्षा कर सकते हैं या विनियमों के अंतर्गत विनियम 29 द्वारा जिसमें अपील की अनुमति है निरसित कर सकते हैं किन्तु जिसमें अपील करने की प्राथमिकता नहीं की गई है या जहां अपील के लिए अनुमति नहीं है वहां, आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श के पश्चात् :—

(क) आदेश की पुष्टि, परिवर्तन या रद्द करें ; या

(ख) आदेश द्वारा दिये गये दण्ड को पुष्ट करे, कम करे, बढ़ा दें या रद्द करें ; या जहां दण्ड नहीं लगाया गया है वहां दण्ड लगा दे ; या

(ग) आदेश देने वाले प्राधिकारी को मामला वापिस भेज दे या किसी अन्य प्राधिकारी को इस निदेश के साथ भेज दें कि यदि मामले के संदर्भ में उचित समझे तो आगे जांच करें ।

(घ) कोई और आदेश दें यदि उचित समझे ।

बशर्ते कि पुनरीक्षण प्राधिकारी तब तक कोई दण्ड बढ़ाने या लगाने वाला आदेश न दे जब तक संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध अभिवेदन करने का मौका न दिया जाये और जहां विनियम 8 के खण्ड (v) और (ix) में निर्दिष्ट कोई दण्ड लगाने या इन खण्डों में विनिर्दिष्ट किसी भी दण्ड को संशोधित करने वाले आदेश द्वारा दण्ड बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि मामले में पहले ही विनियम 10 के तहत जांच नहीं कराई गई है तो विनियम 10 में बताई गई रीति से जांच होने के बाद ही ऐसा दण्ड विनियम 15 के प्रावधानों की शर्त पर और जहां आवश्यक हो वहां केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श के बाद लगाया जाये ।

(2) पुनरीक्षण के लिए कोई भी कार्यवाही प्रारम्भ तब की जायेगी जब

(i) अपील को सीमित करने की अवधि समाप्त हो जायेगी ।

(ii) जहां अपील को तजरीह दी गई है वहां अपील की समाप्ति पर

(3) पुनरीक्षण के आवेदन को उसी प्रकार निपटाया जाये जैसे वह इन विनियमों के तहत एक अपील हो

27. समीक्षा :— समीक्षाधीन किसी मामले में जब कोई नया तथ्य और प्रमाण जो आदेश देने के समय प्रस्तुत न किया गया हो या अनुपलब्ध रहा हो और जो मामले की प्रवृत्ति बदल सकता है या उसके ध्यान में लाया गया हो तब केन्द्र सरकार अध्यक्ष किसी समय अपने प्रस्ताव पर या अन्यथा इन विनियमों के तहत पास किये गये किसी आदेश की समीक्षा कर सकता है :

बशर्ते कि केन्द्र सरकार अध्यक्ष तब तक कोई दण्ड बढ़ाने या लगाने वाला आदेश न दे जब तक संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध अभिवेदन करने का मौका न दिया जाये और जहां विनियम 8 में निर्दिष्ट कोई दण्ड लगाने या इन खण्डों में निर्दिष्ट किसी भी दण्ड को संशोधित करने वाले आदेश द्वारा दण्ड बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि मामले में पहले ही विनियम 10 के तहत जांच नहीं कराई गई है तो विनियम 10 में बताई गई रीति से जांच होने के बाद ही ऐसा दण्ड विनियम 15 के प्रावधानों की शर्त पर और जहां आवश्यक हो वहां केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श के बाद लगाया जाये ।

(xi) उक्त विनियमों में वर्तमान विनियम 27, 28, 29, 30 को विनियम 28, 29, 30, 31 नम्बर क्रमशः दिये जाए :

टिप्पणी : प्रमुख विनियम : विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम 1968 परिवहन तीवहन मंत्रालय (परिवहन विंग) द्वारा उनके पत्र क्र. 17-पी ई(17 67) दिनांक शून्य-7-1968 द्वारा स्वीकृति किये । ये विनियम निम्न-प्रकार से संशोधित किये गये हैं।

1. क्र.पी.ई.बी. (10) 74, दिनांक 17-12-1974
2. क्र.पी.जी.एल-47 74, दिनांक 1-2-1975
3. क्र.पी.ई.बी.-23 77, दिनांक 2-11-1977
4. क्र.पी.ई.बी-3 79, दिनांक 21-4-1979

आर. जीवरत्नम, सचिव,

विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट
विशाखापट्टणम

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 1991

G.S.R. 201 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Visakhapatnam Port Employees (Classification Control and Appeal) Amendment Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PPR-12012|13|91-PE.I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

VISAKHAPATNAM PORT TRUST

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Visakhapatnam Port Trust, hereby makes the following Regulations further to amend the Visakhapatnam Port Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1968, namely :

1. (i) These Regulations may be called "The Visakhapatnam Port Employees' (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 1991".

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Central Government Gazette.

2. In the Visakhapatnam Port Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1968, (hereinafter referred to as the said Regulations) :

(i) (a) In Regulation 2, of the said Regulations, the following definition shall be inserted as Clause (f) :

"Retired employee" means retired employee of the Board.

(b) The existing Clause (f) shall be read as Clause (g).

(ii) In Regulation 7, of the said Regulations, the following changes shall be made, viz.,

(a) In Sub-Regulation (1), the following shall be inserted as Clause (c) :

"Where in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State".

(b) Under Sub-Regulation (5), the following proviso shall be inserted :

"Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the Court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case".

(iii) In Regulation 8, after Clause (ix) of the said Regulations, the following provisos shall be inserted :

"Provided that, in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in Clause (viii) or Clause (ix) shall be imposed :

Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed.

(iv) In Regulation 10, of the said Regulations, the following changes shall be made :

(a) In Sub-Regulation (8A), Clauses (i) and (ii) shall be deleted and the existing Clauses (iii) and (iv) shall be read as Clauses (i) and (ii).

(b) In Sub-Regulation 17, for Clause (b), the following shall be substituted :

"The employee may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined and shall be liable to cross examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority".

(v) In Regulation 11, of the said Regulations, under Sub-Regulation (3), the following proviso shall be inserted :

"Provided that in every case where it is necessary to consult the Central Government, the record of the inquiry, shall be forwarded by the disciplinary authority to the Central Government for its advice and such advice shall be taken into consideration before making any order imposing any penalty on the employee.

(vi) In the end of the NOTE given under Regulation 12, of the said Regulations, the following shall be added :

"before making any order imposing on the employee any such penalty".

(vii) In Regulation 15, of the said Regulations, the following changes shall be made :

(a) Under Clause (iii), the following shall be inserted as first proviso :

"Provided that the employee may be given opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under Clause (i)".

"Provided further that the Central Government shall be consulted, where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this Regulation".

(b) The existing proviso shall be treated as third proviso and the word "Further" shall be inserted after the word "provided" in the said proviso.

(viii) In Regulation 18, of the said Regulations, the following changes shall be made :

(a) The following shall be inserted as Clause (ii) :

"any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid or the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of Suspension".

(b) The existing Clause (ii) shall be re-numbered as Clause (iii).

(ix) For Regulation 21, of the said Regulations, the following shall be substituted :

21. Orders against which appeal lies :

Subject to the provisions of Regulation, an employee may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely :

(i) an order imposing any of the penalties specified in Regulation 8, whether made by the disciplinary authority on by any appellate or revising authority :

(ii) an order enhancing any penalty, imposed under Regulation 8.

(iii) an order which—

(a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances, pension or other conditions of service as regulated by regulations or by agreement ; or

(b) interprets to his disadvantage the provisions of any such regulation or agreement :

(iv) an order—

(a) stopping him at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar :

(b) reverting him while officiating in a higher service, grade or post, to a lower service, grade or post, otherwise than as a penalty :

(c) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the Regulations;

(d) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof ;

(e) determining his pay and allowances—

(i) for the period of suspension, or

(ii) for the period from the date of his dismissal, removal, or compulsory retirement from service, or from the date of his reduction to a lower service, grade, post, time-scale or stage in a time-scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his service, grade or post ; or

(f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower service, grade, post, time-scale of pay or stage in a time-scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his service, grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation : In this regulation :

(i) the expression 'employee' includes a person who has ceased to be in Board's service ;

(ii) the expression 'pension' includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit.

(x) In the said Regulations, the following shall be substituted for the existing Part VII :

REVISION AND REVIEW

26. Revision :

(1) Notwithstanding anything contained in these regulations ;

(i) the Central Government ; or

(ii) the Chairman, as appellate authority within 6 (six) months of the date of the order proposed to be revised may at any time, either on his or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these Regulations or under the Regulations repealed by Regulation 29, from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed, after consultation with the Central Government where such consultation is necessary, and may—

(a) Confirm, modify or set aside the order ; or

(b) Confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed ; or

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case ; or

(d) page such other orders as it may deem fit.

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by revising authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in Clause (v) to (ix) of Regulation 8 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clauses, and if an inquiry under Regulation 10, has not already been held in the case no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in Regulation 10, subject to the provisions of Regulation 15, and except after consultation with the Central Government where such consultation is necessary :

(2) No proceeding for revision shall be commenced until after :

(i) the expiry of the period of limitation for an appeal ; or

(ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

(3) An application for revision shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these regulations.

27. Review :

The Central Government|Chairman may, at any time, either on his own motion or otherwise review any order passed under these regulations when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought to his notice.

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the Central Government|Chairman unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in Regulation 8, or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviwed to any of the major penalties and if an inquiry under Regulation 10, has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after inquiring in the manner laid down in Regulation 10, subject to the provisions of Regulation 15, and except after consultation with the Central Government where such consultation is necessary.

(xi) In the said Regulations, the existing Regulations 27, 28, 29 and 30 shall be renumbered as Regulations 28, 29, 30 and 31 respectively

NOTE :

Principal Regulations : The Visakhapatnam Port Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1968 have been approved by the Ministry of Transport & Shipping (Transport Wing) in their letter No. 17-PE (17) |67, dt. Nil-7-1968. These Regulations have been amended as mentioned below :

1. No. PEV (10) |74, dt. 17-12-1971.
2. No. PGL-47|74, dt. 1-2-1975.
3. No. PEV-23|77, dt. 2-11-1977.
4. No. PEV-3|79, dt. 21-4-1979.

R. JEEVARATNAM, Secy.
Visakhapatnam Port Trust Visakhapatnam.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110054, 1991